कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) मण्डला

आदेश

क्रमॉक खनिज 01/2016/ 949 मण्डला दिनॉक 15 दिसम्बर 2016

म0प्र0 शासन नैसर्गिक साधन विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक एफ--3--160/73/12/73/ दिनांक 27--11--1973/13--12--73 द्वारा मेसर्स ओ0सी0एल0 कं0 प्रा0लि0 को 20 वर्ष की अवधि हेतु ग्राम मुगदरा ख0नं0 807/1,808/2 एवं 811/1 कुल रकवा 20.234 में से 19.223 हे0 क्षैत्र में खनि पटटा स्वीकृत किया गया था ।

उपरोक्त खनिपटटा म0प्र0 शासन खनिज साधन विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक एफ--3--343/93/12--2/दिनांक 26--02--1999 द्वारा 25--5--94 से 24--5--2014 तक लिये मेसर्स ओ0सी0एल कं0 प्रा0लि0 के पक्ष में 20 वर्ष के लिये नवकृत किया गया है

म0प्र0 शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ--19--5/2015/12--1 भोपाल दिनांक 12.03.2015 के अनुसार खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 8ए (6) के अनुसार "जहॉ खनिज का उपयोग केप्टिव प्रयोजन के अलावा भिन्न प्रयोजन हेतु किया जाता है, उनकी अवधि 31 मार्च 2020 तक अथवा विगत नवकरण की अवधि पूर्ण होने या मूल स्वीकृति से 50 वर्ष इनमें जो भी बाद में हो तक पट्टा शर्तो के पालन किये जाने की स्थिति में मान्य किया जाना है"।

खनि पटटों की शर्तो का उल्लंधन करने के फलस्वरूप न्यायालय कलेक्टर मण्डला के खनिज प्रकरण क्रमांक 19 (अ--67) 2012--13 में पारित आदेश दिनांक 28--4--2015 के द्वारा मे0 ओ सी एल इंण्डिया लि0 पर अवैध उत्खनन खनिज रियायत नियम 1960 के नियम 27(4) के तहत रायल्टी राशि रू0 31141267/--(तीन करोड ग्यारह लाख इक्तालिस हजार दो सो सढसठ रूपये) जमा करने हेतु आदेशित किया गया था ।

उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर मे0 ओ सी एल इण्डिया लि. के द्वारा संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म म0प्र0 के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था । संचालक भैमिकी तथा खनिकर्म म0प्र0 के द्वारा अपने कार्यालयीन पत्र पृ0क0 16275/खनिज/विविध/न0क0 292 /2016/ दिनांक 19--10--2016 के द्वारा कलेक्टर के आदेश को निरस्त करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया है कि पटटेदार की उपस्थिति में यांत्रिकं एवं वैज्ञानिक प्रकिया को अमल में लाते हुए खनि पटटा क्षैत्र की पुनः जांच कराई जाए एवं तदानुसार यदि पटटेदार द्वारा अभिलेख में दर्शाए गई मात्रा से अधिक मात्रा में खनिज का उत्खनन किया गया पाए जाने की स्थिति में शासकीय देय धन की नियमानुसार वसूली की जाए एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के संशोधित प्रावधानों के तहत अवधि वृद्वि किए जाने की कार्यवाही राज्य शासन के दिशा निर्देश 12--3--2015 के अनुसार की जाए ।

शासन के उपरोक्त पत्र दिनांक 12--3--2015 के साथ संलग्न चेक 'लिस्ट में निर्धारित सभी 23 बिन्दुओं का अवलोकन किया गया । उपरोक्त खनिपट्टा केप्टिव प्रयोजन के अलावा भिन्न प्रयोजन के लिये स्वीकृत है। समस्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर खनि संरक्षण एवं विकास नियम 1988 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया गया है।

अतःग्राम मुगदरा तहसील नैनपुर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 807/1,808/2,एवं 811/1 कुल रकबा 19.223 हे0 क्षैत्र पर ओ0 सी0 एल कंपनी प्रा0लि0

18

अतःग्राम मुगदरा तहसील नैनपुर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 807/1,808/2,एवं 811/1 कुल रकबा 19.223 हे0 क्षैत्र पर ओ0 सी0 एल कंपनी प्रा0लि0 के पक्ष में उक्त खनिपट्टा नॉन केप्टिव खदान की शेष विस्तारित अवधि 24-05-2024 तक इस शर्त के साथ विस्तारित मान्य की जाती है कि संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म म0प्र0 के आदेश दिनांक 19-10-2016 के परिपालन में यांत्रिक एवं वैज्ञनिक प्रकिया को अमल में लाते हुए खनिपटटा क्षेत्र की पुनः जांच कराए जाने पर अधिक मात्रा में खनिज का उत्खनन पाये जाने की स्थिति में शासकीय धन की नियमानुसार वसूली की जावेगी ।

खनिपट्टे की उक्त विस्तारित अवधि के लिये देय स्टाम्प डियूटी एवं पंजीयन शुल्क की गणना की जाकर पुनः अनुबंध निष्पादित कराया जाये। स्टाम्प डियूटी एवं पंजीयन शुल्क की गणना म0प्र0 शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ-19-5 /2015/12-1 भोपाल दिनांक 12.03.2015 के आधार पर की जावे। अनुबंध के पूर्व समस्त आवश्यक वांछित अनुमतियॉ/अनुबंध निष्पादन के पूर्व बकाया नहीं प्रमाण पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित किया जावे।

खनिपट्टे की विस्तारित अवधि के दौरान खनिपट्टाधारी को स्वीकृत खनिपट्टा क्षेत्र में समस्त नियमों/प्रावधानों का पालन करना आवश्यक होगा।

(कलेक्टर द्वारा अनुमोदित)

अपर कलेक्टर
मण्डला

पृ0 कमॉक खनिज 01/2016/945.A मण्डला दिनॉक 15 दिसम्बर 2016

प्रतिलिपि :-

1 सचिव म0प्र0 शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय भोपाल को सूचनार्थ प्रेषित।
2 सदस्य सचिव म0प्र0 प्रदूषण नियत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5 अरोरा कालोनी भोपाल (म0प्र0) को सूचनार्थ प्रेषित।
3 महानियत्रंक भारतीय खान ब्यूरों इंदिरा कालोनी सिविल लाईन नागपुर(महाराष्ट्र) को सूचनार्थ प्रेषित।
4 संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म 29ए अरेरा हिल्स खनिज भवन भोपाल को सूचनार्थ प्रेषित।
5 मे0 ओ0सी0एल कंपनी प्रा0 लि0 सुन्दर नगर उडीसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अपर कलेक्टर
मण्डला